राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 457/2022

भोम सिंह **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. राजस्व मंडल जरिये रजिस्ट्रार, राजस्व मंडल, अजमेर (राज.)।
3. उप पंजीयक, (भू–अभिलेख), राजस्व मंडल, अजमेर (राज.)।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 21.02.2022
आदेश की दिनांक : 01.11.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री राजेन्द्र सोनी, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 03.02.2022 एवं आदेश दिनांक 24.12.2021 को अपास्त फरमाया जावे और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को वर्ष 2013–14 के विरूद्ध भू–अभिलेख निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया जावे तथा आदेश दिनांक 15.06.2020 (अनुलग्नक–13, 14 एवं 15) तथा दिनांक 23.06.2020 (अनुलग्नक–16) नायब तहसीलदार के पद पर पदोन्नति हेतु विचार किया जावे तथा समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति एसटी वर्ग से पटवारी के पद पर आदेश दिनांक 08.06.1990 के द्वारा हुई और आदेश दिनांक 21.06.1992 के द्वारा स्थायी किया गया। आदेश दिनांक

17.09.2013 के द्वारा वर्ष 2013–14 के विरूद्ध भू–अभिलेख निरीक्षक के पद पर कुछ पटवारी पदोन्नत किए गए। जबकि जो अपीलार्थी से कनिष्ठ थे, अपीलार्थी को आदेश दिनांक 23.02.2016 के द्वारा भू–अभिलेख निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया जो रिक्ति वर्ष 2014–15 के बजाय 2015–16 के विरूद्ध पदोन्नति दी गई। आदेश दिनांक 17.09.2013 को माननीय अधिकरण के समक्ष चुनौती दी गई और अधिकरण के आदेश दिनांक 05.05.2016 के द्वारा रिव्यू डीपीसी किए जाने का आदेश दिया गया, जिसमें अपीलार्थी को वर्ष 2013–14 के विरूद्ध पदोन्नति की गई। अधिकरण के आदेश को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती देते हुए एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 8328/2016 राजस्थान राज्य बनाम कैलाश नारायण मीणा प्रस्तुत की गई। उनका कथन है कि अपीलार्थी ने भी वरिष्ठता सूची दिनांक 01.11.2019 एवं कनिष्ठ कार्मिक को दी गई पदोन्नति आदेश दिनांक 04.11.2019 को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती देते हुए एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 20247/2019 प्रस्तुत की, जिसके उपरांत विभाग द्वारा अपीलार्थी के नाम को वरिष्ठता सूची में आदेश दिनांक 15.06.2020 के द्वारा दिनांक 01.04.2015 से क्रम संख्या 1256ए पर जोडा गया और आदेश दिनांक 23.06.2020 के द्वारा नायब तहसीलदार के पद पर पदोन्नति के लिए वर्ष 2020–21 के विरूद्ध सूची जिला कलेक्टर को भेजी गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 51 पर दर्शाया गया। परंतु विभाग द्वारा पुनः सूची को परिवर्तित कर दिया गया और भू–अभिलेख निरीक्षक के पद पर पदोन्नति वर्ष 2013–14 से 2015–16 कर दिया गया, जो विधि एवं नियमों के विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 03.02.2022 एवं आदेश दिनांक 24.12.2021 को अपास्त फरमाया जावे और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को वर्ष 2013–14 के विरूद्ध भू–अभिलेख निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया जावे तथा आदेश दिनांक 15.06.2020 (अनुलग्नक–13, 14 एवं 15) तथा दिनांक 23.06.2020 (अनुलग्नक–16) नायब तहसीलदार के पद पर पदोन्नति हेतु विचार किया जावे तथा समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि संभाग स्तर की वरिष्ठता सूची अनुसार अपीलार्थी दिनांक 01.04.2008 की स्थिति में वरिष्ठता क्रमांक 916 है। श्री भंवर सिंह

एवं सुभाष सिंह को आदेश दिनांक 17.09.2013 से भू–अभिलेख निरीक्षक के पद पर वर्ष 2013–14 की रिक्ति के विरूद्ध पदोन्नत किया गया है, जो उक्त दोनों कार्मिक सामान्य वर्ग से हैं। जबकि अपीलार्थी एसटी वर्ग से है। अपील संख्या 1600/2013 कैलाश नारायण मीणा बनाम सरकार निर्णय दिनांक 05.05.2016 में जयपुर संभाग को वर्ष 2013–14 की रिव्यू डीपीसी से संबंधित है और अपीलार्थी को वर्ष 2013–14 की रिव्यू डीपीसी के तहत दिनांक 26.12.2016 से वर्ष 2013–14 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नत किया गया। अपीलार्थी की वरिष्ठता भू–अभिलेख निरीक्षक पद पर नियुक्ति दिनांक 18.09.2013 मानते हुए 704ए निर्धारित कर सूची को संशोधित किया गया और उक्त पद से नायब तहसीलदार की डीपीसी रातस शाखा द्वारा की जाती है। राज्य सरकार के आदेशानुसार पात्रता योग्यता रोस्टर बिंदु, वरिष्ठता को मद्देनजर रखते हुए डीपीसी की जाकर अपीलार्थी को रिक्ति वर्ष 2015–16 के विरूद्ध पदोन्नत किया गया है, जो नियमानुसार है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील के जवाब का उल जवाब प्रस्तुत करते हुए बहस है कि कैलाश चन्द मीणा मामले के निर्णय दिनांक 05.05.2016 के द्वारा अपीलार्थी की वरिष्ठता क्रम संख्या 704ए को पुनः परिवर्तित करते हुए 2143ए परिवर्तित की गई, जो पूर्ण रूप से नियम विरूद्ध है। कैलाश नारायण मीणा द्वारा पुनः अपील संख्या 777/2017 प्रस्तुत की गई, जिसे स्वीकार कर अधिकरण ने दिनांक 03.07.2023 को आदेश जारी किया और उक्त मामले के समान ही अपीलार्थी का भी प्रकरण समान है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखों का अवलोकन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति एसटी वर्ग से पटवारी के पद पर आदेश दिनांक 08.06.1990 के द्वारा हुई। आदेश दिनांक 17.09.2013 के द्वारा वर्ष 2013–14 के विरूद्ध भू–अभिलेख निरीक्षक के पद पर कुछ पटवारी पदोन्नत किए गए। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 23.02.2016 के द्वारा भू–अभिलेख निरीक्षक के पद पर पदोन्नत नहीं किया गया जबकि जो अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिकों को उक्त पद पर पदोन्नत कर दिया गया, अपीलार्थी को उक्त पद पर रिक्ति वर्ष 2014–15 के बजाय 2015–16 के विरूद्ध पदोन्नति दी गई। अपीलार्थी ने वरिष्ठता सूची दिनांक

01.11.2019 एवं कनिष्ठ कार्मिक को दी गई पदोन्नति आदेश दिनांक 04.11.2019 को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती देते हुए एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 20247/2019 प्रस्तुत की, जिसके उपरांत विभाग द्वारा अपीलार्थी के नाम को वरिष्ठता सूची में आदेश दिनांक 15.06.2020 के द्वारा दिनांक 01.04.2015 से क्रम संख्या 1256ए पर जोडा गया और आदेश दिनांक 23.06.2020 के द्वारा नायब तहसीलदार के पद पर पदोन्नति के लिए वर्ष 2020–21 के विरूद्ध सूची जिला कलेक्टर को भेजी गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 51 पर दर्शाया गया। परंतु विभाग द्वारा पुनः सूची को परिवर्तित कर दिया गया और भू–अभिलेख निरीक्षक के पद पर पदोन्नति वर्ष 2013–14 से 2015–16 कर दिया गया। जहां तक अपीलार्थी को वर्ष 2013–14 के विरूद्ध भू–अभिलेख निरीक्षक के पद पर पदोन्नति प्रदान नहीं किए जाने एवं उससे कनिष्ठ कार्मिक को उक्त पद पर पदोन्नत किए जाने का प्रश्न है, हमारे मत में अधिकरण द्वारा पूर्व में जारी आदेश दिनांक 26.05.2015/05.05.2016 के निर्णय के अनुसार प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए गए थे कि प्रत्यर्थी विभाग भू–अभिलेख निरीक्षक के पद की पदोन्नति हेतु पुनः रिव्यू डीपीसी का आयोजन किया जावे और प्रार्थी की पदोन्नति पर विचार किया जावे तथा वे समस्त लाभ प्रार्थी को दिए जावें, जिस दिनांक से प्रार्थी से कनिष्ठ को दिए गए हैं। उक्त आदेश की पालना में ही प्रत्यर्थी विभाग ने दिनांक 26.12.2016 को रिव्यू बैठक आयोजित करते हुए प्रार्थी को वर्ष 2013–14 की रिक्तियों के विरूद्ध भू–अभिलेख निरीक्षक के पद पर पदोन्नति प्रदान की है। ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थी विभाग को हम यह निर्देश देना समीचीन समझते हैं कि यदि अपीलार्थी का वर्तमान प्रकरण कैलाश नारायण मीणा वाले मामले के आधारों के समान है, तो प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी की वरिष्ठता को नियमानुसार ध्यान में रखते हुए उसकी वरिष्ठता को सही एवं उचित स्थान पर दर्शाया जावे और यदि अपीलार्थी वर्ष 2013–14 के विरूद्ध भू–अभिलेख निरीक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु योग्य पाया जाता है तो उसे उक्त पद पर पदोन्नति देने हेतु विचार किया जावे तथा समस्त पारिणामिक लाभ नियमानुसार प्रदान किए जावें।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)